प्रेस विज्ञप्ति

19.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई जोनल कार्यालय ने मेसर्स सरवना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) और उसके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में इंडियन बैंक को 235 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों की वापसी में सफलतापूर्वक मदद की है।

ईडी ने आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। इंडियन बैंक द्वारा दायर शिकायत में लगभग 312 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के नुकसान का आरोप लगाया गया है। जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने 274.75 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां जब्त कीं, जिसकी बाद में पुष्टि की गई।

ईडी ने पीएमएलए के तहत माननीय विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की। इस बीच, इंडियन बैंक ने पीड़ित पक्ष के रूप में पीएमएलए, 2002 की धारा 8 (8) के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें कुर्क संपत्तियों की वापसी की मांग की गई। व्यापक जनहित में और बैंक को अपने बकाये की वसूली में सहायता करने के लिए, ईडी ने आवेदन का समर्थन किया और विशेष अदालत के समक्ष अपने कानूनी तर्क प्रस्तुत किए।

मामले की गहन जांच के बाद, माननीय न्यायालय ने इंडियन बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें 235 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को वापस करने का आदेश दिया गया।

यह फैसला संपत्तियों की उचित वापसी और प्रभावित वित्तीय संस्थानों का समर्थन करने के लिए ईडी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह सुनिश्चित करके कि गबन की गई आय उनके वैध दावेदारों को वापस कर दी जाए, ईडी वित्तीय जवाबदेही और उचित कानूनी प्रक्रिया के सिद्धांतों को बनाए रखना जारी रखता है।